मध्य प्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल,2022

क्रमांक 356 /2022/32–3

प्रति,

1/ कार्यपालन संचालक,
एप्को,भोपाल

2/ सदस्य सचिव,
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भोपाल

विषयः माननीय पर्यावरण मंत्री, मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 06/04/2022 को आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण ।

उपरोक्त विषय में माननीय पर्यावरण मंत्री,मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 06/04/2022 को ली गई विभागीय समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है ।

2/ निर्देशानुसार अनुरोध है कि कार्यवाही विवरण में आपकी संस्था से संबंधित बिंदुओं पर कार्यवाही कर,की गई कार्यवाही से अवगत कराने का कृपया कष्ट करें ।

संलग्नः यथोपरि ।

(सुप्रिया पेडके)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग

भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल,2022

क्रमांक 357/2022/32–3

प्रतिलिपिः

1/ विशेष सहायक,माननीय मंत्रीजी,पर्यावरण विभाग ।

2/ निज सचिव,प्रमुख सचिव,पर्यावरण विभाग ।

की ओर कार्यवाही विवरण की प्रति संलग्न प्रेषित ।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग

Director (Env)

SSO

for immediate action Pl.

मान्नीय पर्यावरण मंत्री, मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 06/04/2022 को आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक के कार्यवाही विवरण

माननीय पर्यावरण मंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 06/04/2022 को विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी जिसमें निम्नलिखित अधिकारीगण उपस्थित थे:—

1. श्री प्रतीक हजेला, प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, मध्यप्रदेश शासन।
2. श्री श्रीमन शुक्ला, अपर सचिव एवं कार्यपालन संचालक,एप्को,पर्यावरण विभाग, मध्यप्रदेश शासन।
3. श्रीमती सुप्रिया पेंडके अवर सचिव, पर्यावरण विभाग, मध्यप्रदेश शासन।
4. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल ।
5. श्री हेमंत शर्मा, डायरेक्टर, पर्यावरण, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।
6. श्री अनूप श्रीवास्तव,मुख्य अभियंता,एप्को,भोपाल ।
7. डॉ. अभय सक्सेना, वरि. वैज्ञानिक अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।
8. डॉ. आलोक सक्सेना, मुख्य रसायनज्ञ, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।
9. श्री आलोक नायक,वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी,एप्को,भोपाल ।
10. श्री मनोहर पाटिल,प्रशासकीय अधिकारी,एप्को,भोपाल ।
11. डॉ. राजश्री शुक्ला, वैज्ञानिक, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।
12. श्री शरद शर्मा, वित्त अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।

सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल द्वारा विभागीय समीक्षा के दौरान म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए जा रहे कार्यो व प्रस्तावित योजनाओं के बारे में एक प्रस्तुतीकरण दिया गया । समीक्षा के दौरान माननीय मंत्री जी द्वारा निम्न निर्देश दिए गए :—

1. विगत विधानसभा सत्रों के दौरान प्राप्त प्रश्नों एवं ध्यानाकर्षणों पर संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा स्थल निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति की विवेचना की जाये तथा क्या सुधारात्मक कार्यवाही की गई/ की जानी प्रस्तावित है, विस्तृत प्रतिवेदन मान्नीय मंत्री जी के कार्यालय को प्रेषित किया जावें ।

2. विगत विधानसभा सत्रों के दौरान प्राप्त प्रश्नों एवं ध्यानाकर्षणों पर क्षेत्रीय अधिकारियों से प्राप्त जानकारियों का सत्यापन मुख्यालय स्तर से एक दल गठित कर, कराया जाये ताकि उन पर्यावरणीय समस्याओं का समुचित निराकरण किया जा सके तथा भविष्य में उन्हीं विषयों पुनः विधानसभा प्रश्न/ध्यानाकर्षण उठने जैसी स्थिति से बचा जा सके ।

3. विगत विधानसभा सत्रों के दौरान दिए गए सभी अपूर्ण प्रश्नों की जानकारी माननीय मंत्री जी के कार्यालय को उपलब्ध कराई जावें ।

4. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में कितने प्रकरण विचाराधीन है, के संदर्भ में विस्तृत प्रतिवेदन माननीय मंत्री जी के कार्यालय को प्रेषित किया जावे ।

5. बोर्ड द्वारा विगत वर्ष में कितने कर्मचारियों (सर्विस प्रोवाइडर) की सेवायें समाप्त की गई तथा उनमें से कितने सेवा में वापिस लिये गये, की जानकारी माननीय मंत्री जी के कार्यालय को प्रेषित किया जावें ।

6. प्रदेश में स्थापित ऐसे कौन–कौन से उद्योग (जैसे : थर्मल पावर प्लांट, टायर पायरोलिसिस उद्योग, स्टोन क्रेशर इत्यादि) हैं जिनसे लगातार प्रदूषण संबंधी समस्या / शिकायतें बोर्ड को प्राप्त हो रही है को सूचीबद्ध कर इनमें सुधारात्मक कार्यवाही हेतु कार्ययोजना तैयार की जाये तथा उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित् किया जाये ।

7. क्षिप्रा, खॉन, चंबल एवं प्रदेश की अन्य नदियों के किनारे स्थित ऐसे उद्योग जो पर्यावरणीय मानकों का पालन नहीं कर तथा जिनके कारण नदियॉ प्रदूषित हो रही है को सूचीबद्ध किया जाये तथा इनमें सुधारात्मक कार्यवाही हेतु कार्ययोजना तैयार की जाये तथा उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित् किया जाये ।

8. आज दिनांक तक विगत वर्ष में क्षेत्रीय कार्यालयवार प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा तैयार किया जाये तथा उसमें संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा की गई कार्यवाही दर्ज कर जानकारी माननीय मंत्री जी के कार्यालय को उपलब्ध कराई जावें । इस सूची में यह भी स्पष्ट किया जाये कि आज दिनांक तक कितनी शिकायतों पर कार्यवाही लम्बित है ।

9. प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत आनेवाले जिलों की सूची व उस क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी (पदस्थापना दिनांक से) की जानकारी माननीय मंत्री जी के कार्यालय को उपलब्ध कराई जावे ।

10. बोर्ड द्वारा किये गये प्रदेश की नदियों के वर्गीकरण की जानकारी माननीय मंत्री जी के कार्यालय को उपलब्ध कराई जावे ।

11. इस समीक्षा के दौरान माननीय मंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए कि आगामी समीक्षा बैठक के दौरान म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनिट हेड, उनके द्वारा किये जा रहे कार्यो का प्रस्तुतीकरण करेगे ताकि विधान सभा में उठाये गये प्रश्नों के उत्तर देने में सुगमता हो ।

12. माननीय मंत्रीजी द्वारा समीक्षा बैठक में निर्देश दिये गये कि उनके प्रशासकीय अनुमोदन के बिना कोई भी आदेश जारी नहीं किये जायें । वर्तमान में मा. मंत्रीजी के मंत्रीत्व काल में यदि कोई आदेश राज्य शासन से बगैर प्रशासकीय अनुमोदन के जारी किया गया है,उसकी जानकारी उपलब्ध कराया जाए ।

माननीय मंत्री जी द्वारा पर्यावरण विभाग की समीक्षा दिनांक 12.05.2022

1. पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को)

माननीय मंत्री जी पर्यावरण विभाग द्वारा दिनांक 12.05.2022 को एप्को की गतिविधियों की समीक्षा की गई । समीक्षा के दौरानकार्यपालन संचालक, एप्को तथा एप्को के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

कार्यपालन संचालक, एप्को द्वारा दिनांक 06.04.2022 को आयोजित विगत बैठक के निर्देशों पर की गई कार्यवाही का बिंदुवार प्रस्तुतीकरण किया । समीक्षा के दौरान माननीय मंत्री जी द्वारा निम्नानुसार निर्देश दिये गये :-

1. शिवना नदी के पर्यावरण प्रबंधन हेतु भारत शासन से स्वीकृति प्राप्त होने पर मंदसौर में माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में एवं कलेक्टर मंदसौर की उपस्थिति में संबंधित क्रियान्वयन एजेंसियों के अधिकारियों की बैठक आयोजित की जावे । शिवना नदी संरक्षण के कार्यों में यथासंभव जन सहभागिता एवं जन भागीदारी के प्रयास किये जावे ।
2. राष्ट्रीय हरित कोर योजना अंतर्गत इको क्लबों विद्यालयों में पर्यावरण संरक्षण संबंधी गतिविधियों के सतत आयोजन एवं पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जावे । माननीय मंत्री जी को इको क्लब विद्यालयों की सूची उपलब्ध करवाई जावे ।
3. राष्ट्रीय हरित कोर योजना की वित्तीय वर्ष 2022-23 राशि का वितरण NEFTद्वारा माननीय मंत्री जी के माध्यम से करवाया जाना सुनिश्चित किया जावे ।
4. पन्ना बायोस्फियर रिजर्व अंतर्गत संचालित गतिविधियों के स्थल अवलोकन हेतु जिला प्रशासन के समन्वय से माननीय मंत्री जी का दौरा कार्यक्रम जून माह में आयोजित करवाया जावे । माननीय मंत्री जी के दौरें एवं गतिविधियों

के क्रियान्वयन में पन्ना बायोस्फियर रिजर्व अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के जन प्रतिनिधियों (माननीय सांसद एवं विधायक महोदय) को भी आमंत्रित किया जावे।

पन्ना बायोस्फियर रिजर्व में संचालित गतिविधियों की जानकारी माननीय मंत्री जी को उपलब्ध करवायी जावे।

5. इंदौर और बुरहानपुर शहर के पारंपरिक कुओं बावड़ियों के संरक्षण परियोजना के कार्यों के अवलोकन हेतु जिला प्रशासन के समन्वय से माननीय मंत्री जी का दौरा आयोजित किया जावे।

6. जिला वेटलैंड संरक्षण समितियों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही एवं उत्तरदायित्वों के संबंध में ब्रोशर तैयार कर सभी जिलों के माननीय प्रभारी मंत्रियों तथा जिला कलेक्टर्स को माननीय मंत्री जी के पत्र के साथ प्रेषित किया जावे।

7. ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों पर चर्चा करते हुये माननीय मंत्री जी द्वारा निम्नानुसार निर्देश दिये गये :-

   i. भारत सरकार के दिशा-निर्देश अनुसार राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना में किये जा रहे संशोधन के संबंध में विस्तृत जानकारी माननीय मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित की जावे।

   ii. वृक्षो की कटाई की अनुमति व क्षतिपूरक वृक्षारोपण से संबंधित प्रक्रिया एवंनियम की जानकारी प्राप्त की जावे।

   iii. पर्यावरण संरक्षण हेतु आवश्यक तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए माननीय मंत्री जी की ओर से समस्त जिला कलेक्टरों और स्वैच्छिक संगठनों को अपील प्रेषित की जाये।

   iv. पर्यावरण दिवस पर आयोजन हेतु कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जावे।

2. मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

1. टायर पायरोलेसिस इकाईयाँ अत्यन्त छोटी श्रेणी की होकर अत्यधिक प्रदूषणकारी प्रकृति की होती हैं, भविष्य में प्रदेश में किसी नई टायर पायरोलेसिस इकाईयों को स्थापना की अनुमति नहीं दिये जाने तथा पूर्व से कार्यरत इकाईयों के आगामी नवीनीकरण सीपीसीबी मापदण्डों का पूर्णतः पालन होने की स्थिति में ही किये जाने संबंधी नीति तैयार की जाये।

2. बोर्ड द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में की जा रही विशिष्ठ गतिविधियों की जानकारी माननीय मंत्री जी के अवलोकन हेतु उपलब्ध कराई जाये।

3. बोर्ड द्वारा विभिन्न उद्योगों एवं संस्थानों के विरूद्ध दायर न्यायालयीन प्रकरणों में न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में दी गई सजाओं संबंधी प्रकरणों की जानकारी माननीय मंत्री महोदय को उपलब्ध कराई जाये।

4. बोर्ड द्वारा कितने प्रकरणों में उद्योगों संस्थानों के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित करते हुए नोटिस जारी किये गये हैं, संबधी जानकारी उपलब्ध कराई जाये।

5. विधानसभा सत्र के दौरान प्राप्त प्रश्नों पर सदन में उत्तर देने के पश्चात् प्रश्न में उल्लेखित कमियों (यदि कोई पाई हो तो) के निराकरण पर कार्यवाही कराई जाये।

6. नदियों एवं तालाबों से निरन्तर पानी की निकासी विभिन्न उपयोगों हेतु की जाती है। नदियों/तालाबों के बहाव व अस्तित्व को बनाये रखने हेतु आवश्यक है कि उसमें जल की उपलब्धता भी कराई जाये। नदियों में

प्रवाह को बनाये रखने हेतु क्या पूर्ण रूपेण शुद्धिकृत मल-जल/दूषित जल को नदियों एवं तालाबों में डालने संबंधी प्रस्ताव गुण-दोष के आधार पर तैयार कर प्रस्तुत किया जाये जिससे राज्य स्तर पर कोई नीति बनाई जा सके।

7. सीएम हेल्पलाईन 181 पर प्राप्त शिकायतों के निराकरण संबंधी एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये, जिसमें बार-बार प्राप्त होने वाली शिकायतों के परिप्रेक्ष्य में विवरण अंकित किया जाये।

8. बोर्ड के सभी यूनिट हेड एवं शाखा प्रभारी उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तुतीकरण में ऐसे मुद्दों को ध्यान में लायें जिसमें उनके स्तर से किये गये नवीन उच्च गुणवत्तापूर्ण कार्यो का भी विवरण हो।

9. पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में की जा रही ऐसी गतिविधियों की जानकारी जिससे आम जनता को अवगत कराया जाना है, माननीय मंत्री जी के जनसम्पर्क अधिकारी को उपलब्ध कराई जाये।